HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/4048 Jabalpur, dated 04.10.2017.

The copy of the notification of the Government of Madhya Pradesh F.No.17(E)/44/2013/21-B(One)/3577/2017, issued in exercise of the powers conferred by Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 is endorsed to;

1. The Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges Seoni and Sheopur for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Judges also,
5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

04.10.2017

(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

2609

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक / / 2017

क्रमांक 17(ई) 44 / 2013 / 21–ब(एक) / 357 / 17.– राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476–2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग –एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना मे, सारणी में, अनुक्रमांक 34 एवं 37 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
34	सिवनी	श्री मनोज कुमार श्रिया, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश सिवनी
37	श्योपुर	श्री मुनी सिंह चद्रावत, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर।"

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में अभिनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करे।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)3577/2017,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September,2013,Namely:-

27 SEP 2017
HIGH COURT ...
JABALPUR
O.S.D(DE)

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 34 and 37 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
	(2)	(3)
34.	Seoni	Shri Manoj Kumar Ladhiya, IIIrd Additional Sessions Judge, Seoni
37.	Sheopur	Shri Munshi Singh Chandrawat, Special Judge, Scheduled Castes Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए. एम. सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)3577/2017, भोपाल, दिनांक . / /2017
प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक सी/3304/III-4/72, दिनांक 11 अगस्त 2017 के संदर्भ में.
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली.
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी एवं श्योपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं म.प्र राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।

(आर.के. वाणी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग